

आति. जिला रजिस्टर मुकाम श्री. शंकर  
 सदीप / एवा रीट कुटावासा बनाम त. वसीनगर लुहना  
 नं. 50 सन् 2021

क्र	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/8/21	यह अपील अधिवक्ता श्री विजयपाल सिंह द्वारा पेश करने पर बाद जांच पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत तलवाने पर रेस्पोंडन्ट की तलबी जारी हो मिसल मातहत तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 04.08.2021 को पेश। अति. जिला कलेक्टर शंकर	
4/8/21	पत्रावली पेश हुई, वकील अपीलकर्ता उप.। पत्रावली वास्ते मिसल तलबी दिनांक 04/08/21 को पेश हो अति. जिला कलेक्टर शंकर	
5/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलकर्ता उप.। अधिनियम न्यायिक कार्य की धारत हुई। जो शामिल की गई। पत्रावली वास्ते तलब दिनांक 27/08/21 को पेश हो अति. जिला कलेक्टर शंकर	
27/9/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक मय द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 26/10/21 को पेश हो। शंकर	
26/10/21	पत्रावली पेश हुई वकील अधिवक्ता उपस्थित पी ओ साहब आज राजकार्य अवकाश भ्रमण पर है पत्रावली तलब दिनांक 16/11/21 को पेश शंकर रीडर	
02/11/21	पत्रावली पेश हुई वकील अधिवक्ता उपस्थित पी ओ साहब आज राजकार्य अवकाश भ्रमण पर है पत्रावली तलब दिनांक 12-10-2022 को पेश शंकर रीडर	

पेश हो  
 की  
 वास्ते  
 12/1  
 पत्र  
 निम्न  
 पत्रा  
 1  
 कदर  
 पत्र  
 को  
 9 27 8 30 9



12/11/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 7/2/22 को पेश हो।

7/2/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 9/3/22 को पेश हो।

9/3/22

पत्रावली पेश हुई। उ करण राष्ट्रिय लोक अदालत दिनांक 12/3/22 में सुचीकर है। वकील अपीलान्ट को स्थगित किया गया। पत्रावली वस्ति सुनवाई दिनांक 12/3/22 को पेश हो  
अति. जिला कलक्टर  
सुंघुनूं

12/3/22

पत्रावली लोक अदालत दिनांक 12/3/22 में नियत होने पर आप पेशी में ली गई। पक्षकारान उप. नहीं होने के कारण पत्रावली के निस्तारण सम्बन्धी कार्रवाई नहीं की जा सकी। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 14/4/22 को पेश हो।  
अति. जिला कलक्टर  
सुंघुनूं

14/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. पत्रावली में बहस हेतु अवसर दिनांक 20/4/22 को पेश हो।  
अति. जिला कलक्टर  
सुंघुनूं

20/4/22

इस अपील को फाइल नदी चलाना चाहिए अपील को विज्ञा करता हूँ

पत्रावली पेश हुई। विधान अधिवक्ता उग्रपक्ष उप. धार्मिक वकील अपीलान्ट को कथन है कि वे इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अपील को विज्ञा करता हूँ इसी स्थिति में अपील अपीलान्ट विज्ञा के आधार पर खारीज की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली क्रमशः सुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो तथा वकील पक्षकारान दाखिल दर्ज हो।  
अति. जिला कलक्टर  
सुंघुनूं